

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5362 /
दो-14-57/2021

जबलपुर, दिनांक 02/09/2021.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31-01-1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ/6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री महेश जोशी, ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 28.04.2021 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में 294 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर उक्त धनराशि का भुगतान मृतक की पत्नि श्रीमती स्याति जोशी पति स्व. श्री महेश जोशी ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/5363 /
दो-14-57/2021

जबलपुर, दिनांक 02/09/2021.

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1488/लेखा/2021 दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में स्व.श्री महेश जोशी, ज्युडिशियल असि. का आवेदन पत्र, एवं अवकाश लेखा मूलतः वापिस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करे।
सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मप्र जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)